Website:- www.dipronline.org
email:- projjn@rediffmail.com,
राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

चिकित्सक रोगियों को जैनरिक दवाएं ही लिखें - बृजेन्द्र ओला

झुंझुनू, 4 मईः सहकारिता राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला ने कहा है कि रोगी के उपचार में जैनरिक दवाईयां सस्ती और गुणवत्ता युक्त हैं। चिकित्सकों को चाहिए कि वे अस्पताल में आने वाले रोगियों को जैनरिक दवाईयां ही लिखें ताकि गरीब व्यक्ति भी अपना उपचार कम लागत में करवा सके। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की योजना के तहत पूरे देश में जन औषधि केन्द्र खोले जाने हैं लेकिन राज्य में जयपुर के अलावा झुंझुनू पहला जिला है जिसमें यह जन औषधि केन्द्र प्रारम्भ किया गया है। वे मंगलवार को यहां बी.डी.के. अस्पताल परिसर में झुंझुनू जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार की ओर से संचालित किये जाने वाले जन औषधि केन्द्र का उद्घाटन करने के बाद समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग इस योजना को सी.एच.सी. और पी.एस.सी. तक शुरू करना चाहता है, बशर्ते चिकित्सा विभाग वहां दुकानें उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की मंशा इस योजना में दवाओं की बिक्री करके मुनाफा कमाना नहीं है बल्कि आमजन को सस्ता व सही उपचार करवाना है। इसकी उपयोगिता तभी साबित होगी जब अधिकाधिक रोगी इसका लाभ उठाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में विभाग द्वारा सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के माध्यम से पेंशनर के लिए उचित मूल्य पर दवाओं की व्यवस्था की गई थी लेकिन बाद में इन दुकानों से राज्य कर्मचारियों को दवाएं अनिवार्य रूप से खरीदना लागू किया गया तथा आज इन दुकानों पर आम व्यक्ति बाजार मूल्य से कम में दवाएं खरीदकर उपचार करवा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि अनेक अस्पतालों में लाइफ लाइन स्टोर भी संचालित किए जा रहे हैं। यहां उच्च क्वालिटी की दवाएं निरन्तर रूप से उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जन औषधि केन्द्र पर दी जाने वाली दवाएं बाजार दरों से 80 प्रतिशत कम दर पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने सहकारिता विभाग की नई योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ पारदर्शी सरकार के रूप में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि जिले में पहली बार अकाल के दौरान किसानों को 36 करोड़ रूपये का आदान बांटा गया है और आने वाले समय में भी जिले में खाद-बीज की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने कहा कि यह जिले वासियों के लिए गौरव की बात है कि राज्य में जयपुर के अलावा झुंझुनू जिले में पहली दुकान का शुभारम्भ यहां हुआ है। हमें दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे और चिकित्सकों को चाहिए कि वे रोगियों को जैनरिक दवाएं ही लिखें। उन्होंने चिकित्सकों को आगाह करते हुए अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चिकित्सक जैनरिक दवाएं लिख रहे हैं या नहीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहां का केन्द्र जनता का औषधि केन्द्र बनेगा।

समारोह के अध्यक्ष एवं नगर परिषद के सभापति खालिद हुसैन ने इस बात की सराहना की कि सरकार ने गरीब व्यक्ति को सस्ता उपचार सुलभ कराने की जो पहल की है, वह अपने आप में अनूठी पहल है। उन्होंने शहर में सीवरेज योजना लागू करने की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रीटमेन्ट प्लांट की चार दीवारी का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है और इसी माह सीवरेज योजना का शिलान्यास भी करवाया जाएगा। समारोह के विशिष्ट अतिथि ओमप्रकाश आबूसरिया ने भी किसानों को सहकारिता के क्षेत्र में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की ओर सहकारिता राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए चिकित्सकों को सलाह दी की वे गरीब रोगी को समय पर सही और सस्ता उपचार सुलभ कराएं।

प्रारंभ में उपभोक्ता होलसेल भण्डार के अध्यक्ष जगदीश खाजपुरिया व भण्डार के महाप्रबन्धक मनोहरलाल शर्मा ने जन औषधि केन्द्र की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की दवाई निर्माता कम्पनी आर.डी.पी.एल. द्वारा यहां दवाईयां उपलब्ध करवायी जाएंगी। इन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने 2008 में पहली बार अमृतसर में जन औषधि केन्द्र की शुरूआत की थी। उन्होंने बताया कि इस केन्द्र पर उचित मूल्य पर दवाईयां उपलब्ध करायी जाएगी और उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे दवाओं की खरीद का बिल अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान में जिला मुख्यालय पर 4 एवं चिड़ावा, बुहाना, खेतड़ी, उदयपुरवाटी एवं नवलगढ़ में संचालित भण्डार की दुकानों पर अच्छी कम्पनियों की जैनरिक दवाईयां उपलब्ध हैं। अस्पताल के कार्यवाहक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. एल.के. शर्मा ने विश्वास दिलाया कि रोगियों को चिकित्सक जैनरिक दवाएं ही लिखेंगे, जिससे उनकों सस्ते उपचार का लाभ मिल सकेगा।

इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक विद्याधर गोदारा, नगर परिषद की उप सभापति बिमला बेनीवाल, तहसीलदार महेन्द्र मीणा, भूमि विकास बैंक के सचिव संजय पाठक, भण्डार के उपाध्यक्ष विद्याधर सोहू, ओमप्रकाश बोहरा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष तैयब अली, पूर्व पार्षद रामनारायण कुमावत, कार्यवाहक सी.एम.एच.ओ. डॉ. प्रताप सिंह दूतड़, सहकारिता विभाग के बी.एस. बाजिया, सहायक रजिस्ट्रार, पार्षद जाहिद अली

खोखर, मकबूल हुसैन सहित अनेक पार्षद व बड़ी संख्या में चिकित्सक व शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे।

जनगणना कार्य में कोताही बरतने पर तहसीलदार व ई.ओ. को 17 सी.सी.ए. का नोटिस

झुंझुनू, 4 मईः जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने जनगणना कार्य में लापरवाही एवं कोताही बरतने पर झुंझुनू तहसीलदार महेन्द्र मीणा व बिसाऊ नगरपालिका अधिशासी अधिकारी परमवीर दुलार और मण्डावा नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी बनवारी लाल वर्मा को 17 सी.सी.ए. के नोटिस जारी किए हैं। अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने बताया कि इन अधिकारियों द्वारा जनगणना कार्य को गंभीरता से नहीं लेने के फलस्वरूप इन्हें 17 सी.सी.ए. के नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसमें शिथिलता और लापरवाही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कार्मिक व अधिकारी दिए गए निर्देशों की पालना नहीं करेंगे उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।

जनगणना कार्य में लगे कार्मिकों को चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी न करने के निर्देश

झुंझुनू, 4 मईः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रताप सिंह दूतड़ ने जिले के सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया है कि वे जनगणना कार्य में लगे हुए राज्य कर्मचारियों को बिना किसी गंभीर बीमारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी नहीं करें। उन्होंने बताया कि जिले में जनगणना व मकान गणना के कार्य के लिए अनेक कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है, जो ड्यूटी से मुक्त रहने के लिए बिना किसी बीमारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि विशेष परिस्थितियों में केवल भर्ती रोगियों व अन्य को बोर्ड द्वारा जांच करने के बाद ही चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किए जायें। यह निर्देश उपखण्ड क्षेत्र के उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियों को भी दिए गए हैं।